



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02092025-265885
CG-DL-E-02092025-265885

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3888]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 1, 2025/भाद्र 10, 1947

No. 3888]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 1, 2025/BHADRA 10, 1947

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2025

का.आ. 3993(अ).—राष्ट्रीय फैशन टेक्नालॉजी संस्थान अधिनियम, 2006 (2006 का 28) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अध्वधीन राष्ट्रीय फैशन टेक्नालॉजी संस्थान (निफ्ट) के शासी बोर्ड में अध्यक्ष एवं सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए इस राजपत्र के जारी होने की तिथि से प्रत्येक नाम के सामने दी गई अवधि के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों का नामांकन अधिसूचित करती है:-

क्र.सं	नाम एवं पद	अवधि	धारा
1	सचिव, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार	बीओजी-निफ्ट के नए अध्यक्ष के आने तक या 26.08.2028, जो भी पहले हो	अधिनियम की धारा 3(3)(क) के अंतर्गत संस्थान के विजिटर (भारत के राष्ट्रपति) द्वारा अध्यक्ष के रूप में नामित
2	राष्ट्रीय फैशन टेक्नालॉजी संस्थान के महानिदेशक, पदेन		अधिनियम की धारा 3(3)(ग) के अंतर्गत सदस्य के रूप में नामित
3	वित्तीय सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, में राष्ट्रीय फैशन टेक्नालॉजी संस्थान से संबंधित कार्य को देखने वाले, पदेन		अधिनियम की धारा 3(3)(घ) के अंतर्गत सदस्य के रूप में नामित

4	संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार में राष्ट्रीय फैशन टेक्नालॉजी संस्थान से संबंधित कार्य को देखने वाले, पदेन		अधिनियम की धारा 3(3)(ड) के अंतर्गत सदस्य के रूप में नामित
5	संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार में उच्चतर शिक्षा से संबंधित कार्य को देखने वाले, पदेन		अधिनियम की धारा 3(3)(च) के अंतर्गत सदस्य के रूप में नामित

[फा. सं. 1/51/2006-निफ्ट(pt)]

रोहित कंसल, अपर सचिव

MINISTRY OF TEXTILES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th August, 2025

S.O. 3993(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (3) of Section 3 of the National Institute of Fashion Technology Act, 2006 (No.28 of 2006), the Central Government hereby notifies the nomination of the following persons to serve as Chairperson and Members on the Board of Governors of the National Institute of Fashion Technology (NIFT) for the period indicated against each w.e.f. date of issuance of this notification subject to the provisions of the said Act:-

S. No.	Name & Designation	Tenure	Section
1.	Secretary, Ministry of Textiles, Government of India	Till finalization of new Chairperson of BoG-NIFT or up to 26.08.2028, whichever is earlier	Nominated as Chairperson of BoG-NIFT by the President of India in his capacity as Visitor of the Institute under Section 3(3) (a) of the NIFT Act, 2006.
2.	Director General of the National Institute of Fashion Technology, ex-officio		Nominated as member under Section 3(3) (c) of the NIFT Act, 2006
3.	Financial Advisor in the Ministry of Textiles, Government of India dealing with National Institute of Fashion Technology, ex-officio;		Nominated as member under Section 3(3) (d) of the NIFT Act, 2006
4.	Joint Secretary in the Ministry of Textiles, Government of India dealing with National Institute of Fashion Technology, ex-officio;		Nominated as member under Section 3(3) (e) of the NIFT Act, 2006
5	Joint Secretary in the Ministry of Human Resource Development, Government of India dealing with Higher Education, ex-officio;		Nominated as member under Section 3(3) (f) of the Act.

[F. No. 1/51/2006-NIFT (pt)]

ROHIT KANSAL, Addl. Secy.